न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —13/2022(2022/00085)

अनवान : —

1. सुखलाल पुत्र जीराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. मनसुख पुत्र जीराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शिशपाल पुत्र जीराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र जीराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. जयसिंह पुत्र जीराम जाति खाती निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल प्रार्थीगण अधिवक्ता
श्री सतवीर बैनीवाल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 19/4/22

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 148/132 के मु0न0 26 के किला न0 13, 14, मु0 न0 27 के किला न0 24 कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 सुखलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 82/77 के मु0 न0 26 के किला न0 12, 19, मु0 न0 27 के किला न0 18 कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 मनसुख के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण के चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 शिशपाल के नाम चक 1 जेएसएल के खाता संख्या 133/121 के मु0 न0 26 के किला न0 11, 20 मु0 न0 27 के किला न0 17 कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक में अप्रार्थी संख्या 2 महावीर के नाम खाता संख्या 86/80 के मु0 न0 26 के किला न0 17, 18, मु0 न0 27 के किला न0 23 कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक में अप्रार्थी संख्या 3 जयसिंह के नाम खाता संख्या 34/34 के मु0 न0 26 के किला न0 21/1 की 0.240 है0, किला न0 21/2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन रास्ता, किला न0 22/1 की 0.240 है0, किला न0 22/2 की 0.013 है0 गैर मुमकिन रास्ता, मु0 न0 27 के किला न0 25/1 की 0.228 है0, किला न0 25/2 की 0.025 है0 गैर मुमकिन रास्ता इस

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकार कुल किता 6 की 0.759 हैक्टेयर जिसमें नहरी 0.708 है0, गैर मुमकिन रास्ता 0.051 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण के अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। प्रार्थी संख्या 1 सुखलाल अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए रोही मौजा चक 1 जेएसएल के मु0 न0 26 के किला न0 19, 20 में से होकर किला न0 18 में प्रवेश कर अपनी कृषि किला न0 13 में प्रवेश करता है। प्रार्थी संख्या 2 मनसुख चक 1 जेएसएल के मु0 न0 27 किला न0 24, 25 में से होकर किला न0 23 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि किला न0 18 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण सदामत से ही अपनी कृषि भूमि में उपरोक्तानुसार आवागमन करते आ रहे है, इसके अलावा कृषि भूमि में पहुंच हेतु कोई रास्ता चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दिनांक 11.03.2022 को राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के खिलाफ कोई अनुतोष नही होने से वकील प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सगे भाई है। प्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 3 जयसिंह को कृषि भूमि देना स्वीकार किया है एवं राजीनामा में उसका वर्णन है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिसे प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है एवं अप्रार्थीगण ने इस रास्ता के संबंध में मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र व राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहेते है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारान की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए चक 1 जेएसएल के मु0 न0 26 के किला न0 20, 19 प्रत्येक सम्पूर्ण किला में उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 0.013 हैक्टेयर एवं किला न0 18 में कॉर्नर में 0.001 है एवं चक 1 जेएसएल के मु0 न0 27 के किला न0 25/1, 24 सम्पूर्ण किला में उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर 0.013 हैक्टेयर व किला न0 23 के कॉर्नर में 0.001 है0 रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें व उक्त रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में ही रास्ता की एवज में पक्षकारान की चक 1 जेएसएल के मुरब्बा न0 27 के किला न0 24 में किला न0 25 के चिपते ही 0.030 है0 सुखलाल की भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थी जयसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें व मु0 न0 27 के किला न0 23 में किला न0 24 के चिपते ही 0.022 हैक्टेयर महावीर की भूमि में से कम की जाकर प्रार्थी सुखलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें व इसी चक के मु0 न0 27 के किला न0 18 में किला न0 23 के चिपते ही 0.015 प्रार्थी मनसुख की भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 महावीर के नाम दर्ज की जावे। इसी चक के मु0 न0 27 के किला न0 17 जो किला न0 18 के चिपते हुए 0.08 है0 अप्रार्थी शिशपाल के हिस्सा में भूमि कम की जाकर प्रार्थी मनसुख के नाम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (जिला-हनुमानगढ़)

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें। तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़